



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन / DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र

CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1117 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1117

विषय/Sub: इलेक्ट्रिकल वायर्स एवं केबल्स टाइप एसए-ईक्यू-एमजीएसएचवी

और एसए-ईक्यू-एमजीएसएचवी ई

Electrical Wires & Cables Type SA-EQ-MGSHV & SA-EQ-MGSHVE

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सॉधवी एयरोस्पेस प्राइवट लिमिटेड, ललित वेयरहाउस के पीछे, कोजी होटल के पास, नरोल सरखेज हाईवे, नरोल अहमदाबाद - 382 405 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित 'इलेक्ट्रिकल वायर्स एवं केबल्स टाइप एसए-ईक्यू-एमजीएसएचवी और एसए-ईक्यू-एमजीएसएचवीई' (परिशिष्ट 'ए' में पार्ट सं. दर्शाए गए हैं) को पत्र सं.सेमिलाक/5070/टीए - 1117 दिनांक 15 अप्रैल 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1117 जारी किया था और 31 दिसम्बर 2009 तक वैध है।

This is to State that the "Electrical Wires & Cables" Type SA-EQ-MGSHV & SA-EQ-MGSHVE, (Part No. indicated in Appendix 'A') designed, developed and manufactured by M/s. Sanghvi Aerospace Pvt. Ltd., B/h Lalit Warehouse, Near Cozy Hotel, Narol Sarkhej highway, Narol Ahmedabad - 382 405 has been issued with Type Approval No. 1117 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1117, dt. 15th April 2005, and is valid up to 31st Dec 2009.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01/01/2010 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसम्बर 2014 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके उद्देश्य को सम्मिलित करते हुए सभी संबद्ध दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(नासिक), ओझार टाउनशिप, नासिक से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1/01/2010 based on the satisfactory performance feed back and is valid up to 31st Dec 2014. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA(Nasik) Ojhar Township, Nasik, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant document including performance feedback, quantity produced and rejection of any and its cause. All other conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1117/1R

दिनांक/Date : 29 Jan 2010

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


29th Jan 10


(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / वै 'एच' /Outstanding Scientist /Sc-'H'
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)